XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0/1526-I-15 जिला. सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-6-15	आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित उन्हें सुना गया यह निगरानी श्रीमान् अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 363/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 20–05–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा कलेक्टर सागर ने आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति नहीं दिये जाने का आदेश पारित किया है। 2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक को आराजी ग्राम पथरिया जैगन तह. खुरई स्थित भूमि खसरा नंबर 54/1 रकवा 0.66 हे0 एवं खसरा नंबर 332/1 रकवा 0.34 हे0 जुमला रकवा 1 हे0 (2.5 ऐकड़) का पट्टा प्रदाय किया गया था। जिसमें से 0.34 हे0 के विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे कलेक्टर सागर द्वारा विधिवत् पूरी प्रक्रिय उपरांत बिना किसी युक्तियुक्त आधार के निरस्त किया है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति हेतु जो आवेदन दिया गया था, वह अपनी पुत्री के विवाह हेतु राशि की व्यवस्था किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसे मात्र इस आधार पर निरस्त किया है कि आवेदक द्वारा पुत्री विवाह योग्य है अथवा नहीं जानकारी पेश नहीं की गई इसी आधार पर अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त सागर द्वारा भी आवेदक द्वारा चाही गई अनुमति न देते हुए कलेक्टर सागर के आदेश की पुष्टि की गई है। जबकि मात्र 0.34 हे0 भूमि के विक्रय की अनुमति चाही थी। उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत बताते हुए निगरानी ग्राह्य किए जाने का अनुरोध किया गया।	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं आ. आदि के हस्ता.
	3. आवेदक के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है। कलेक्टर सागर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि की अनुमति देने से इंकार किया है कि आवेदक द्वारा पुत्री के विवाह योग्य होने की सही–सही जानकारी उनके समक्ष पेश नहीं की अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष आवेदक द्वारा कलेक्टर सागर के समक्ष भूमि विक्रय हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संदर्भ में उचित है। परंतु आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उसकी पुत्री के विवाह योग्य होने बावत् राशनकार्ड सहित शपथपत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरांत तथा प्रकरण की अघतन स्थिति के परिपेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः आवेदक द्वारा पट्टे पर प्राप्त प्रश्नाधीन भूमि में से खसरा नंबर 332/1 रकवा 0.34 हे0 भूमि के निम्न शर्तो के साथ विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है:– 1– यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2014–15 की गाईड लाईन से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो। 2– आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय चार माह के अंतर्गत अनिवार्य रूप से करायेगा, अन्यथा यह अनुमति निरस्त मानी जावेगी। सदस्य	

निगरानी 1526-I-15

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

1. राजकुमार पिता पुन्नीलाल मोगिया (पादरी)
निवासी ग्राम पथरिया जैगन तहसील खुरई ——आवेदक

//विरूद्ध//

म.प्र. शासन ——अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर (म.प्र.) के प्र. क्र. 363/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 20–05–15 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, ग्राम पथरिया जैगन तह. खुरई स्थित भूमि खसरा नंबर 54/1 रकवा 0.66 हे0 एवं खसरा नंबर 332/1 रकबा 0.34 हे0 जुमला रकवा 1 हे0 (2.5 ऐकड़) भूमि है। जो निगरानीकर्ता को भूमि स्वामी अधिकार भी प्रदत्त किए गए थे तथा राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि निगरानीकर्तागण के नाम भूमिस्वामी स्वामित्व में दर्ज है ।

2. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाने के लिए काफी धन व्यय किया परंतु वह काबिल काश्त नहीं बन पाई जिस कारण से उसके द्वारा श्रीमान कलेक्टर सागर के समक्ष उक्त भूमि का विक्रय करने की अनुमति प्रदाय किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया साथ ही साथ यह भी निवेदन किया था कि आवेदक की पुत्री विवाह योग्य हो चुकी है। जिसकी शादी सभ्यांत परिवार में करने हेतु पैसे की आवश्यकता है। आवेदक स्वयं बीमारी की हालत से गुजर रहा हैं इस कारण वह कुल भूमि में से मात्र 0.34 हे0 भूमि को विक्रय की अनुमति चाहता है। जिस हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। जिसे निरस्त किए जाने से एवं उसकी अपील में पुष्टि किए जाने से यह निगरानी विधिवत् रूप से प्रस्तुत की जा रही है।